संख्या : 88/2015/1376/छप्पन-2015-100/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2015**

विषय : बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 459-61/ए0एस0-37-89/2015, दिनांक 31.8.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के लिये अवशेष धनराशि रूपये 23,93,65,000/- (रूपये तेईस करोड़ तिरानबे लाख पैंसठ हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस आलोक में उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जनपद बरेली स्थित सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु निजी भू-स्वामियों की 9.886 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क एवं समस्त भारमुक्त रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु शासनादेश संख्या- 63/2015/1031/छप्पन-2015-100/2015, दिनांक 30.7.2015 द्वारा उक्त भूमि के मूल्य रूपये 53,10,30,000.00 (रूपये तिरपन करोड़ दस लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रूपये 29,16,65,000.00 (रूपये उनतीस करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार मात्र) स्वीकृत किये जा चुके हैं। तदनुसार अवशेष धनराशि रूपये 23,93,65,000/- (रूपये तेईस करोड़ तिरानबे लाख पैंसठ हजार मात्र) स्वीकृत किया जाना है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय बरेली स्थित वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में चतुर्थ किश्त के रूप में रूपये 23,93,65,000/- (रूपये तेईस करोड़ तिरानबे लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों की भॉति स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखी जायेगी और यथावश्यकता व्यय की जायेगी।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी।

6- भूमि का क्रय नियमानुसार किया जायेगा तथा भू-स्वामियों को भुगतान के उपरान्त तत्काल बैनामे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7- भूमि क्रय हेतु की जा रही कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं भूमि क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही सम्पन्न की जायेगी।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- 993/दस-2015, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

<u>पृ0सं0 : 88/2015/1376(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/बरेली।
4- जिलाधिकारी, बरेली ।
5- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली ।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-4
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।